क्रम-संख्या—654

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 26, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग 1

संख्या 1677/सत्रह–वि–1–1 (क)-35-1985

लखनऊ, 17 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, शब्द "बीस गुने" के स्थान पर शब्द "पचास गुने" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 27 में, शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 30 में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 30-क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

पूर्व-दोष सिद्धि के पश्चात् बढ़ी हुई शास्ति

"30-क—कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 24, या धारा 25 की उपधारा (1), या धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (क), या धारा 27, या धारा 29, या धारा 30 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, उसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुन: दोषी पाया जाय, तो वह ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये, ऐसे उपबन्ध में उपबन्धित कारावास के दण्ड, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, जुर्माना से, जो ऐसे उपबन्ध में उपबन्धित जुर्माना की धनराशि का डेढ़ गुना तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।"

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा

सचिव।

No. 1677 (2)/XVII-V-1—1(KA)-35-1985

Dated Lucknow September 17, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1985), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 17, 1985:

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. ACT no. 29 of 1985)

(*As passed by the U. P. Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In section 12 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 12 of U. P. Act no. 28 of 1979.

3. In section 24 of the principal Act, *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 24.

4. In section 25 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "twenty times" the words "fifty times" shall be *substituted.* — Amendment of section 25.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*) *for* the words "two hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 26.

6. In section 27 of the principal Act, *for* the words "three thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 27.

7. In section 29 of the principal Act, *for* the words "two thousand rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 29.

8. In section 30 of the principal Act, *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.* — Amendment of section 30.

9. *After* section 30 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— — Insertion of new section 30-A

"30-A. Enhanced penalty after previous conviction. Whoever having been convicted of an offence punishable under section 24, or sub-section(1) of section 25 or clause (*a*) of sub-section (1) of section 26, or section 27, or section 29 or section 30 is again found guilty of an offence punishable under the same provision, shall be subject for every such subsequent offence, to a fine which may extend to one and half times of the amount of fine provided in such provision, besides the sentence of imprisonment if any, provided in such provision."

By order

B. L. LOOMBA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 161 सा० (विधा०)—(1923)—1985—850 (मेक०) ।